संख्या:11/2019/98जेएल/22-3-19-100(85)/2018

प्रेषक,

हरि नारायण गिरि,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2019***

विषय: जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1217/सामा-1(3)/बं0स्था0मे0परि0/2018, दिनांक 15-01-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध निम्नलिखित 05 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	2	3	4
1	रूचिन पुत्र श्री हरेन्द्र	जि0का0मुजफ्फरनगर	जि0का0पीलीभीत
2	मोबीन उर्फ काला पुत्र श्री जाहिद	जि0का0मुजफ्फरनगर	जि0का0एटा
3	मोहित पुत्र श्री अंग्रेज	जि0का0मुजफ्फरनगर	जि0का0फतेहगढ़
4	गुलसव्वर पुत्र श्री इशरत	जि0का0मुजफ्फरनगर	जि0का0फिरोजाबाद
5	फैसल पुत्र श्री अकील	जि0का0मुजफ्फरनगर	जि0का0फैजाबाद

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

संख्या:11/2019/98जेएल(1)/22-3-19-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/पीलीभीत/एटा/फर्रूखाबाद/फिरोजाबाद/फैजाबाद।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर/एटा/फैजाबाद एवं पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत/फर्रूखाबाद/फिरोजाबाद।
5. अधीक्षक, जिला कारागार मुजफ्फरनगर/पीलीभीत/एटा/फर्रूखाबाद/फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फैजाबाद।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरि नारायण गिरि
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in